HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NO:-PW-NHD-CB-Forest/2025-26- 800 Dated:- 16/5/25

To

The Divisional Forest Officer,
Rohru Forest Division,
Distt. Shimla, H.P.

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**
(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

Sir,

This is with reference to the conditions of Stage-I Approval on the subject cited above. In this context the para wise compliance is as under:-

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	इस कार्यालय द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
3.	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 12.5 ha land in UPF Sheroli in Mandal Beat & Block, Saraswati Nagar Range, Tehsil Jubbal, Distt. Shimla, Himachal Pradesh पर सी ए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 12.5 ha land in UPF Sheroli in Mandal Beat & Block, Saraswati Nagar Range, Tehsil Jubbal, Distt. Shimla, Himachal Pradesh पर सी ए किया जाएगा। सी ए की राशी इस कार्यालय द्वारा CAMPA खाते में जमा करवा दी गयी है। अतः यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानीय देशी प्रजाति

	monoculture नहीं किया जाएगा।	मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।
4.	प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे सम्बंधित दस्तावेज, अन्यथा, राज्य वन विभाग के नाम नामांतरण पश्चात, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अतिर्धसूचित करा कर, तत्समंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएंगा।	सम्बंधित दस्तावेज़ संलग्न कर दिए गए हैं।
5.	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	वन विभाग वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगा।
6.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
7.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि वन विभाग के निर्देशों के अनुसार जमा किया जायेगा। जिसके लिए वचनबधता प्रस्ताव में जांच सूचि नंबर 13-A के रूप में संलगन है और परिवेश पोर्टल पर भी चढ़ाया गया है।
8.	Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An	Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA has been deposited and SMCP has been submitted to DFO Office Rohru.

	Undertaking to this effect shall be submitted.	
9.	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आई आर सी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा या सुनिश्चित किया जाता है कि एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आई आर सी विनिर्देश के अनुसार किया जायेगा।
10.	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को स्थानांतरित नहीं किया जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा या सुनिश्चित किया जाता है कि केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में वन भूमि को किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को स्थानांतरित नहीं किया जायेगा।
11.	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
12.	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
13.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर र्धन राशि उपलब्र्ध करायी जायेगी।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे और इसके लिए इस विभाग द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्र्ध करायी जायेगी।
14.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।
15.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्र्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दवाब से बचाय जा सके।	इस कार्यालय द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्र्ध कराया जायेगा और साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दवाब से बचाया जायेगा।
16.	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता की जाएगी।
17.	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानांतरित वन भूमि की

	खम्बों' द्वारा चिन्हित की जाएगी।	सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों' द्वारा चिन्हित की जाएगी।
18.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	इस कार्यालय द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।
19.	प्रयोक्ता एजेंसी सी डब्ल्यू एल डब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफ ए सी/आर ई सी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयक्तु अंडर/ओवर पास उपलब्रध कराएगी।	इस कार्यालय द्वारा या सुनिश्चित किया जाता है कि सी डब्ल्यू एल डब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफ ए सी/आर ई सी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयक्तु अंडर/ओवर पास उपलब्रध करवाया जायेगा।
20.	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	इस कार्यालय द्वारा यदि आवश्यक होगा तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त की जायेगी।
21.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिषित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।
22.	इस प्रस्ताव को 99 वर्षो के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि , जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	इस कार्यालय द्वारा सम्बंधित शर्त का पालन किया जायेगा।
23.	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है।	इस कार्यालय द्वारा सम्बंधित शर्त का पालन किया जायेगा।
24.	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम /अनुछेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हों तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	इस कार्यालय द्वारा सम्बंधित शर्त का पालन किया जायेगा।
25.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन(संरक्षण एवं संवर्धन) अतिर्धनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Consolidated Guidelines and Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan)	शर्त मंजूर

	Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	

Executive Engineer
NH, Division, Theog
HP.PWD. Theog.

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

NH, Division, Theog

Undertaking

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**
(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	इस कार्यालय द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Executive Engineer
NH, Division
HP.PWD.Theog

Undertaking

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
2.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।

Executive Engineer
NH, Division
HP.PWD.Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
3.	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 12.5 ha land in UPF Sheroli in Mandal Beat & Block, Saraswati Nagar Range, Tehsil Jubbal, Distt. Shimla, Himachal Pradesh पर सी ए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 12.5 ha land in UPF Sheroli in Mandal Beat & Block, Saraswati Nagar Range, Tehsil Jubbal, Distt. Shimla, Himachal Pradesh पर सी ए किया जाएगा। सी ए की राशी इस कार्यालय द्वारा CAMPA खाते में जमा करवा दी गयी है। अतः यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।

Divisional Forest Officer
Rohru Forest Division

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
4.	प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे सम्बंधित दस्तावेज, अन्यथा, राज्य वन विभाग के नाम नामांतरण पश्चात, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अतिर्धसूचित करा कर, तत्समंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	सम्बंधित दस्तावेज़ संलग्न कर दिए गए हैं ।

Divisional Forest Officer
Rohru Forest Division
Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
5.	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	वन विभाग वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगा।

Divisional Forest Officer
Rohru Forest Division

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
6.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा

Executive Engineer
NH, Division
HP.PWD.Theog

6. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
7.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि वन विभाग के निर्देशों के अनुसार जमा किया जायेगा | जिसके लिए वचनबधता प्रस्ताव में जांच सूचि नंबर 13-A के रूप में संलगन है और परिवेश पोर्टल पर भी चढ़ाया गया है।

Executive Engineer
NH, Division
HP.PWD.Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
8.	Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA is required to be submitted along with Stage-I compliance. However, in cases where it is not possible for the State Govt. to submit the compliance due to delay in preparation of such Plan, a lump sum amount of 0.5% of the project cost shall be realized from the User Agency and submitted along with the Stage - I compliance. The deficit amount, as per said Plan, if any, from the money already realized to the tune of 0.5% of project cost shall be deposited in the CAMPA account prior to actual working on the forest area. An Undertaking to this effect shall be submitted.	Soil and Moisture Conservation Plan along with detail cost of its implementation into the account of CAMPA has been deposited and SMCP has been submitted to DFO Office Rohru.

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Executive Engineer
NH, Division
HP.PWD.Theog

Undertaking

Sub:- Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.
(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
9.	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा या सुनिश्चित किया जाता है कि एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आई आर सी विनिर्देश के अनुसार किया जायेगा।

Executive Engineer
NH, Division
HP.PWD.Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
10.	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को स्थानांतरित नहीं किया जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा या सुनिश्चित किया जाता है कि केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में वन भूमि को किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को स्थानांतरित नहीं किया जायेगा।

Executive Engineer
NH, Division
HP.PWD.Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
11.	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।

Executive Engineer
NH, Division
HP.PWD.Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
12.	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा ।

Executive Engineer
NH, Division
HP.PWD.Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
13.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे और इसके लिए इस विभाग द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

Executive Engineer
NH, Division
HP.PWD.Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
14.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	इस कार्यालय द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।

Executive Engineer
NH, Division
HP.PWD.Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
15.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ़ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दवाब से बचाय जा सके।	इस कार्यालय द्वरा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध कराया जायेगा और साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दवाब से बचाया जायेगा।

Executive Engineer
NH, Division
HP.PWD.Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
16.	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता की जाएगी।

Executive Engineer
NH, Division
HP.PWD.Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
17.	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचें सीमेंट के खम्बों' द्वारा चिन्हित की जाएगी।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों' द्वारा चिन्हित की जाएगी।

Executive Engineer
NH, Division
HP.PWD.Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.
(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
18.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।	इस कार्यालय द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाए जाएंगे।

Executive Engineer
NH, Division
HP.PWD.Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**
(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
19.	प्रयोक्ता एजेंसी सी डब्ल्यू एल डब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/एफ ए सी / आर ई सी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयक्तु अंडर/ओवर पास उपलब्ध कराएगी।	इस कार्यालय द्वारा या सुनिश्चित किया जाता है कि सी डब्ल्यू एल डब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफ ए सी/आर ई सी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयक्तु अंडर/ओवर पास उपलब्ध करवाया जायेगा।

Executive Engineer
NH, Division
HP.PWD.Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.

Ref: (i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
20.	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी|	इस कार्यालय द्वारा यदि आवश्यक होगा तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त की जायेगी |

Executive Engineer
NH, Division
HP.PWD.Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
21.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	इस कार्यालय द्वारा यह सुनिषित किया जाता है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।

Executive Engineer
NH, Division Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
22.	इस प्रस्ताव को 99 वर्षो के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि , जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	इस कार्यालय द्वारा सम्बंधित शर्त का पालन किया जायेगा।

Executive Engineer
NH, Division Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
23.	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है ।	इस कार्यालय द्वारा सम्बंधित शर्त का पालन किया जायेगा।

Executive Engineer
NH, Division Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
24.	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम /अनुछेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हों तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	इस कार्यालय द्वारा सम्बंधित शर्त का पालन किया जायेगा	

Executive Engineer
NH, Division Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

Undertaking

Sub:- **Diversion of 5.368 ha of forest land in favour of HPPWD NH Division Theog, for the Widening and Strengthening to Double Lane of Poanta-Rajban-Shilai-Minus-Hatkoti road, Portion Snail to Hatkoti from RD 149/00 to 161/715 NH-707 (Old NH-72B), within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla HP-reg.**

Ref: **(i) State Government proposal no. FP/HP/ROAD/146729/2021 dated 23.08.2022.**

(ii) MoM of 65th REC of RO Chandigarh held on 25.01.2024.

क्रम संख्या	विवरण	अनुपालन
25.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन(संरक्षण एवं संवर्धन) अतिर्धनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Consolidated Guidelines and Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	शर्त मंजूर

Executive Engineer
NH, Division Theog

Dy. Conservator of Forests
Rohru Forest Division,
Rohru

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal /Up Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries Muhal/ Up Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	1/1999	Kohlada	Kohlada	527, 535, 536, 537/1, 544/1, 547/1, 549 Kitta-7	21-27-54	North: Majruaa Rakba Kohlada South: DPF Giri 3A East: Majruaa Rakba Kohlada West: DPF Giri 3B	Jubbal	Rohru	Shimla

By order.

RAM SUBHAH SINGH,
Additional Chief Secretary (Forest).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 मई, 2019

संख्या एफ0एफ0ई–बी–एफ(14)–21 / 2012.–इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी ।

अनुसूची

क्र0 सं0	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित महाल / उप महाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं महाल / उप महाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	1/2001	सनाभा	सनाभा	1, 4 / 1, 55, 57, 76, 77, 91 / 1, 94 / 1, 121 किता–9	54–11–58	उत्तर: जाचली दक्षिण: डी0पी0एफ0 गिरी 4ए व 4बी पूर्व: जाचली पश्चिम: तहसील कोटखाई	जुब्बल	रोहडू	शिमला

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

ATTESTED

26/3/2025

Naib Tehsildar
Forest Settlement (Peshi)
Shimla, Shimla-9

13.	38 / 2020	कोठी–प्रथम	कोठी–प्रथम	4, 11 / 1, 59 कित्ता–3	05–37–12	उत्तर – महाल कोठी–प्रथम पूर्व– महाल कोठी–प्रथम दक्षिण– महाल कोठी–प्रथम पश्चिम– महाल हरदेवपुरा एवं डी0पी0एफ0 वणी
14.	39 / 2020	हरदेवपुरा–प्रथम	हरदेवपुरा	47, 61, 62, 64 / 1, 160 / 1 कित्ता–5	13–09–36	उत्तर – सम्पदा विक्रमपुर पूर्व – उप सम्पदा पुल्हाड़ा सम्पदा कोठी दक्षिण– सम्पदा हरदेवपुरा पश्चिम– सम्पदा हरदेवपुरा
15	40 / 2020	हरदेवपुरा–द्वितीय	हरदेवपुरा	458, 555, 559, 561 कित्ता–4	12–48–03	उत्तर – सम्पदा हरदेवपुरा पूर्व – डी0पी0एफ0 वणी दक्षिण– सम्पदा [illegible] पश्चिम– सम्पदा हरदेवपुरा
16.	41 / 2020	पुल्हाड़ा	पुल्हाड़ा	1 / 1, 2, 131, 132 / 1 कित्ता–4	21–84–12	उत्तर – सम्पदा [illegible] पूर्व – सम्पदा [illegible] दक्षिण– सम्पदा पुल्हाड़ा पश्चिम– सम्पदा हरदेवपुरा एवं सम्पदा विक्रमपुर

रेंज: सरस्वती नगर वन मण्डल: रोहड़ू तहसील : जुब्बल जिला: शिमला

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	महाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं
17	41 / 2013	शिरोली–प्रथम	उप महाल रामनगरी	584 / 1 602 / 1 604 / 1 607 / 1 616 / 1 638 कित्ता– 6	87–28–63	उत्तर – उप महाल हिमनगरी एवं महाल भौलाड़ पूर्व – महाल [illegible] पुजारली दक्षिण– [illegible] महाल [illegible] पश्चिम– उप महाल [illegible] महाल [illegible]
18	42 / 2013	शिरोली–द्वितीय	उप महाल भकान	539 / 1, 684 / 1 कित्ता– 2	13–94–29	उत्तर – उप महाल भकान पूर्व – उप महाल रामनगरी दक्षिण– उप महाल [illegible] पश्चिम– उप महाल भकान
19	43 / 2013	शिरोली–तृतीय	उप महाल हिमनगरी व महाल भौलाड़	604 / 1, 607 / 1, 676, 677, 678, 679 कित्ता– 6	91–48–54	उत्तर – महाल टूलू पूर्व – महाल टूलू दक्षिण– उप महाल रामनगरी पश्चिम– महाल हिमनगरी
20	44 / 2013	शिरोली–चतुर्थ	उप महाल हिमनगरी व महाल भौलाड़	1	08–10–52	उत्तर – उप महाल [illegible] पूर्व – उप महाल [illegible] दक्षिण– महाल [illegible] पश्चिम– महाल [illegible]
21	01 / 2014	शिरोली–पंचम	उप महाल हिमनगरी व महाल भौलाड़	430 / 1	08–37–31	उत्तर – [illegible] पूर्व – उप महाल [illegible] दक्षिण– उप महाल [illegible] पश्चिम– उप महाल [illegible]

ATTESTED
Naib Tehsildar,
Forest Settlement (Peshi)
Shimla, Shimla-9

3

153

22.	45	2013	शिरोली—शाष्टम	उप महाल हिमनगरी व महाल भौलाड	559 / 1 560 / 1 561 570 / 1 किता— 4	60—95—77	उत्तर— उप महाल हिमनगरी पूर्व — उप महाल हिमनगरी दक्षिण— उप महाल हिमनगरी पश्चिम— महाल भौलाड

आदेश द्वारा,

संजय गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-87/2020, dated 23rd September, 2020 as required under Article 348(3) of the constitution of Indi].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd September, 2020

No. FFE-B-F(14)-87/2020.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

ATTESTED

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of section 29 of the Act *ibid*.

Naib Tehsildar,
Forest Settlement (Pesh),
Shimla, Shimla-9